उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-13/2018/189/92-2-18-40जॉच/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 24 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-चित्रकूट में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत कतिपय मार्गो के सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा खण्डजा व नाली के निर्माण कार्यो की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जॉच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति मु0 रू0 20,353.00 हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री नियाज अहमद, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुए जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी को पदेन जॉच अधिकारी तथा विभागीय पक्ष व अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-13/2018/189(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 के पत्र संख्या-जी-75/पीए-सी0टी0ई0/2808-174/07/2017-18 दिनांक 12.12.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या की प्रति इस आशय से प्रेषित कि श्री नियाज अहमद, तत्का0 सहायक अभियंता, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर 03 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-झॉसी।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-चित्रकूट।

4- श्री नियाज अहमद, तत्का0 सहायक अभियंता, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in